

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं तिथियाँ

सेन्ट्रल हिन्दू गल्स्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी: एल.के.जी.

सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, रा.गां.द.प., बरकछा, मिर्जापुर: नर्सरी

श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी: कक्षा 1

सेन्ट्रल हिन्दू गल्स्स स्कूल व सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल, कमच्छा, वाराणसी: कक्षा 6

सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

- प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाईन फार्म के उपलब्ध होने की तिथि : 25 फरवरी 2023
- ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि : 30 मार्च 2023
- ऑनलाईन आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि : 31 मार्च 2023 से 4 अप्रैल 2023
- ई-लॉटरी एवं चयनित अभ्योर्थियों की सूची प्रकाशित करने की तिथि : 23 अप्रैल 2023

- प्रवेश की तिथि एवं समय:

एल.के.जी., नर्सरी एवं कक्षा – 1

(क) बी.एच.यू. के स्थायी/संविदा/दैनिक वेतनभोगी : 01 मई 2023 (प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक)
कर्मचारियों एवं दिव्यांगवर्ग

(ख) सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर एवं
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)

- प्रथम वरीयता सूची : 02 मई 2023 (प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक)
- द्वितीय वरीयता सूची : 04 मई 2023 (प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक)
(रिक्त सीटों की स्थिति में)

कक्षा – 6

- प्रथम वरीयता सूची : 21 जून 2023 (प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक)
- द्वितीय वरीयता सूची : 30 जून 2023 (प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक)
(रिक्त सीटों की स्थिति में)

महत्त्वपूर्ण निर्देश

I. आयु सीमा एवं वार्षिक अर्हताएँ

विद्यालय के नाम	कक्षा	01 अप्रैल 2023 को उम्र
सेन्ट्रल हिन्दू गल्स्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	एल.के.जी.	4 से 5 वर्ष अर्थात् जन्म तिथि 01 अप्रैल 2018 से 01 अप्रैल 2019 तक होना चाहिए।

सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, रा.गां.द.प., बरकछा, मिर्जापुर	नर्सरी	5 से 6 वर्ष अर्थात् जन्म तिथि 01 अप्रैल 2017 से 01 अप्रैल 2018 तक होना चाहिए।
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी	1	6 से 8 वर्ष अर्थात् जन्म तिथि 01 अप्रैल 2015 से 01 अप्रैल 2017 तक होना चाहिए।
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी एवं सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	6	अभ्यर्थी कक्षा 5 उत्तीर्ण हो तथा 30 सितम्बर 2023 को अभ्यर्थी की आयु 10 वर्ष से 12 वर्ष हो। अर्थात् जन्मतिथि 30.09.2011 से पहले तथा 30.09.2013 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

II. आरक्षण

विद्यालय के नाम	कक्षा	कुल सीटों की संख्या	आरक्षण कोटा
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	एल.के.जी.	120	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के लिए: *100% काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के प्रवेश के बाद शेष सीट पर आरक्षण निम्नवत है। दिव्यांगवर्ग: 3% (क्षैतिज) अनुसूचित जाति: 15% अनुसूचित जनजाति: 7.5% अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर: 27% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : 10%
सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, रा.गां.द.प., बरकछा, मिर्जापुर	नर्सरी	40	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के लिए: *50% काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के प्रवेश के बाद शेष सीट पर आरक्षण निम्नवत है।
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी	1	40	दिव्यांगवर्ग: 3% (क्षैतिज) अनुसूचित जाति: 15%
सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	6	80**	अनुसूचित जनजाति: 7.5% अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर: 27%
सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल, कमच्छा, वाराणसी	6	90**	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10%

नोट:

* काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थाई कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को प्रवेश में मिलने वाली सुविधा का विस्तार करते हुये यह सुविधा वर्तमान में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को भी दी जा रही है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित स्थानों पर स्थाई कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के उपरान्त बच्ची शेष सीटों पर संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री को प्रवेश दिया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत संविदा कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

** न्यूनतम सीट उपलब्धता।

III. चयन प्रक्रिया

1. सर्वप्रथम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी वर्ग के पुत्र/पुत्री का प्रवेश किया जायेगा।
2. प्रथम चरण—दिव्यांग वर्ग (OH) के अभ्यर्थियों का 3% सीटों (क्षैतिज) पर लॉटरी के द्वारा चयन किया जायेगा।
3. तत्पश्चात् निम्न प्राथमिकता क्रम के अनुसार शेष सीटों का आवंटन ई—लॉटरी के द्वारा किया जायेगा।
 - i. द्वितीय चरण—
 - 1) कुल चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटों पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
 - 2) कुल चयनित अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

नोट: अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की आरक्षित रिक्त सीटों को उपलब्ध अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के आपसी बदलाव के आधार पर भरा जा सकता है।
 - 3) समस्त चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग—नान क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
 - 4) समस्त चयनित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों की गणना पहले चरण से करने के उपरान्त शेष सीटों पर अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
 - ii. तृतीय चरण—द्वितीय चरण के पश्चात् शेष सीटें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवंटित की जायेंगी।
4. प्रत्येक चरण या लॉट की अलग प्रतीक्षा सूची होगी।

IV. ई—लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के आवेदन में किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि पायी गई तो चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

V. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि पर शुल्क न जमा करने पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा प्रतीक्षा सूची से प्रवेश ले लिया जायेगा।

VI. प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। यदि किन्हीं कारणों से कुछ सीट रिक्त रह जाती है, तभी ई—लाटरी रैंक के क्रमवार उन्हें प्रवेश प्राप्त हो सकेगा।

VII. प्रवेश के समय प्रस्तुत करने के लिये दस्तावेज –

1. कक्षा एल.के.जी., नर्सरी, और 1 में प्रवेश के लिए: जन्म तिथि प्रमाण—पत्र की माता/पिता/अभिभावक द्वारा प्रमाणित छायाप्रति प्रवेश प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आयु प्रमाण

पत्र जिसमें अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, जो नगर निगम द्वारा जारी हो अथवा कुटुम्ब रजिस्टर की सत्यापित छाया प्रति हो। प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

2. **कक्षा 6 में प्रवेश के लिए:** कक्षा 5 के अंक पत्र/स्थानांतरण प्रमाण—पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिए।
3. प्रवेश के समय सभी आरक्षित आवेदकों को अपनी सबंधित श्रेणियों में प्रमाण पत्र की मूल और स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी, जैसा कि आवेदन पत्र भरने के समय उल्लेख किया गया है। प्रमाण पत्र उपलब्ध न हाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। संदेहास्पद मामलों में प्रमाणपत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कराया जाएगा। यदि प्रमाणपत्र गलत/फर्जी पाया जाता है तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
 - क. यदि अभ्यर्थी के पिता/माता का.हि.वि. के स्थायी/संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो एल.टी.सी. सेल/उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी कर्मचारी प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यर्थी का नाम हो, प्रवेश/नामांकन के समय लाना अनिवार्य है।
 - ख. शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों (दिव्यांग—OH) को अपने जिले के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये 'दिव्यांगता प्रमाण—पत्र' की मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जायेगा। इस वर्ग के अभ्यर्थियों को काशी हिन्दूविश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा जहाँ इनकी दिव्यांगता का सत्यापन/अनुमोदन होने के पश्चात ही इनका प्रवेश सुनिश्चित माना जायेगा।
 - ग. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को उनके प्रमाण—पत्र की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय जाति प्रमाण—पत्र मूल प्रति उपलब्ध न होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थना निरस्त कर दिया जाएगा। संदेह की स्थिति में यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जायेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं :—
 - (अ)जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/इक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।
 - (ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
 - (स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
 - (द) उस क्षेत्र का प्राखण्डिक अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
 - (य)प्रशासक/प्रशासक—सचिव/विकास अधिकारी (लक्ष्याधीन समूह)।

टिप्पणी: यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसकी जाति केन्द्र

सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना आवश्यक है और प्रमाण पत्र छह महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

VIII. आवेदन पत्र

विश्वविद्यालय ने इसके लिए www.bhuonline.in डोमेन नाम से प्रवेश परीक्षा पोर्टल तैयार किया है। इसका लिंक बी0 एच0 यू० की वेबसाइट (www.bhu.ac.in) पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2023–24 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन बनायी गयी है। तदनुसार, अभ्यर्थी ध्यान दें कि स्कूल एडमीशन (एल.के.जी., नर्सरी, कक्षा 1 एवं कक्षा 6) 2023–24 आवेदन पत्र का विक्रय नहीं किया जाएगा (क्योंकि ऑफलाइन मोड नहीं होगा) और प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर नामांकन करना आवश्यक होगा तथा पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन—पत्र ऑनलाइन भरना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) देखें या (www.bhu.ac.in) देखें।

नोट— अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व भलीभाँति सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन पत्र में वांछित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं। प्रवेश/काउन्सलिंग के समय मूल प्रमाण पत्रों से उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं का सत्यापन किया जायेगा। जबतक वे अपेक्षित अर्हता शर्त पूरी नहीं कर लेते, तबतक वे प्रवेश के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।

IX. आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा:

- अनु०जा०/अनु० जन०जा० : ₹500.00
- सामान्य/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/का.हि.वि.वि. कर्मचारी वार्ड : ₹750.00

आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क भुगतान का तरीका

अभ्यर्थी को आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरना है, क्योंकि मुद्रित सूचना पुस्तिका व आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय नहीं किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पेमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है।

टिप्पणी:

- क) एससी/एसटी अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एससी/एसटी श्रेणी के अन्तर्गत ही विचार किये जायेंगे।

- ख) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही दूसरे पाठ्यक्रम हेतु अन्तरित किया जायेगा तथा आगामी वर्षों के लिए आरक्षित भी नहीं होंगे।
- ग) काउन्सलिंग के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। लाटरी मेरिट लिस्ट BHU के प्रवेश पोर्टल www.bhuonline.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना/अपनी मेरिट देखकर काउन्सलिंग के समय आवश्यक प्रपत्रों (मूल अंक पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा विद्यालय में प्रवेश हेतु भरे गए आवेदन पत्र की कापी) के साथ विद्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित रहें।

नोट : – भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद सत्य माना जायेगा।

सहायता केन्द्र (समय— प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक)

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी: एल.के.जी.
मोबाइल नम्बर: 7905054063

सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल, आर.जी.एस.सी., बरकछा, मिर्जापुर: नर्सरी
मोबाइल नम्बर: 6307661276

श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, कमच्छा, वाराणसी: कक्षा 1
मोबाइल नम्बर: 8470860188 ए 9565136874

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल, कमच्छा, वाराणसी: कक्षा 6
मोबाइल नम्बर: 9305014708

सेन्ट्रल हिन्दू बॉयज स्कूल, कमच्छा, वाराणसी: कक्षा 6
मोबाइल नम्बर: 9415829083